Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सिरोही में सरपंच सह चैयरमैन नगरपालिका, जावल 18 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विक्रम राणा सरपंच सह चेयरमैन, नगर पालिका जावल, जिला सिरोही को परिवादी से 18 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके आवासीय माकन की निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में विक्रम राणा सरपंच सह चेयरमैन, नगर पालिका जावल, जिला सिरोही 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। रिश्वत राशि कम करने की अनुरोध पर आरोपी द्वारा बाद में 19 हजार रुपये में बात तय कर ली।

जिस पर एसीबी की जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विक्रम राणा पुत्र श्री सोमाराम निवासी जावल, जिला सिरोही हाल सरपंच सह चेयरमैन, नगर पालिका जावल, जिला सिरोही को परिवादी से **18 हजार 500 रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा 19 हजार रुपये रिश्वत राशि में से 500 रुपये परिवादी को वापस लौटा दिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।